

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण

विद्यापरिषद् की 11 वीं (आपात) बैठक

दिनांक 06/12/2012

दिन – गुरुवार

स्थान :- प्रशासनिक भवन, बिरकोना

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 11 वीं (आपात) बैठक का कार्यवाही विवरण

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्या परिषद् की 11 वीं (आपात) बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 06/12/2012 को अपरान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय के बिरकोना स्थित नवीन प्रशासनिक भवन में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. डॉ. ए. आर. चंद्राकर – अध्यक्ष
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
2. प्रो. एस. के. जाधव – सदस्य
विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)
3. डॉ. उमेश कुमार श्रीवास्तव – सदस्य
परीक्षा नियंत्रक
बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
(कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)
4. डॉ. सुरेश शुक्ला – सदस्य
इतिहास विभाग
शास. स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महा. बिलासपुर (छ.ग.)
(कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)
5. डॉ. बी.पी. साहू – सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी — सदस्य
निदेशक
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा मनोनीत)
2. डॉ. मनीष श्रीवास्तव — सदस्य
सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी विभाग)
गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
(कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)
3. डॉ. टी. एल वर्मा — सदस्य
प्राध्यापक
शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)
4. डॉ. अमित खासकलम — सदस्य
व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष (सूचना प्रौद्योगिकी)
गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)
5. श्री रमेश नैयर — सदस्य
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)
6. आयुक्त — सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)


बैठक प्रारंभ होने पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखा गया –

प्रस्ताव क्रं. 1 डी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की दशम प्रश्नपत्र की परीक्षा योजना में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय: – विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 अध्ययन मंडल शिक्षा की बैठक दिनांक 01.12.2012 में लिए गए निर्णय के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- विद्या परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि डी.एड. द्वितीय वर्ष की परीक्षा 2012 के दशम प्रश्नपत्र भाग एक एवं भाग दो को पृथक-पृथक प्रश्नपत्र मानते हुए परीक्षा आयोजित की गई है। वर्ष 2012 की परीक्षा में जो छात्र इस प्रश्न-पत्र में ATKT प्राप्त किये हैं उन्हें पृथक प्रश्नपत्र के रूप में ATKT की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति भविष्य के लिये उदाहरण नहीं होगी एवं यह अनुमति केवल जून 2012 की परीक्षा के लिए एक बार की होगी।




(डॉ. बी.पी.साहू)

कुलसचिव/सचिव

क्रमांक / बैठक सेल / 2012

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. सम्मानीय सदस्यगण –
- 2.1 प्रो. विभा जोशी, निदेशक, स्कूल ऑफ एजुकेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली।
- 2.2 प्रो. एस के जाधव, विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर।
- 2.3 डॉ. मनीष श्रीवास्तव, सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी विभाग), गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर।
- 2.4 डॉ. उमेश कुमार श्रीवास्तव, परीक्षा नियंत्रक, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.5 डॉ. सुरेश शुक्ला, (इतिहास विभाग) शास. जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.6 डॉ. टी.एल. वर्मा, विभागाध्यक्ष, शास. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)।
- 2.7 डॉ. अमित खासकलम, व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष, (सूचना प्रौद्योगिकी) गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)।
- 2.8 श्री रमेश नैयर, संचालक, छ.ग.राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)।




(डॉ. ए. आर. चन्द्राकर)

कुलपति/अध्यक्ष

दिनांक 06/12/2012

- 2.9 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) की ओर कार्यवृत्त आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
3. निज सचिव/निज सहायक, कुलपति/कुलसचिव को कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. संबंधित विभागों ~~आकादमी~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कुलसचिव